

2025/36/

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धौद जिला - सीकर**

हबीब खां वनाम तृतीयपार सीकर ग्रामीण  
 किसम मुकदमा 136 ए मु.नं. 512 वर्ष 2025

दिनांक आज्ञा - पत्र

11/2025

प्रार्थी हबीब खां पुत्र जीतू खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम किरडोली तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर द्वारा प्रस्तुत आवेदन बाबत राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रविष्टि को दुरुस्त करने के अनुसार वाके ग्राम किरडोली पटवार हल्का किरडोली तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के खाता सं. (नया) 221 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज प्रविष्टि अजीजखां पुत्र जीतूखां हिस्सा 3/16 दर्ज है, जो कि अशुद्ध है। जबकि उक्त सही प्रविष्टि हबीब खां पुत्र जीतू खां हिस्सा 3/16 है। प्रार्थी द्वारा खसरा सं. 558 क्षेत्रफल 8 बीघा 2 बिस्वा, खसरा सं. 559 रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा, खसरा सं. 560 क्षेत्रफल 8 बीघा, खसरा सं. 561 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा कुल क्षेत्रफल 18 बीघा जिसके नये खसरा सं. 1016, 1019, 1021, 1073 वाके ग्राम किरडोली को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र के श्योबक्साराम पुत्र ईश्वरराम, नौपाराम, गोमाराम पुत्रगण रेखाराम, मोतीराम पुत्र रूपाराम जाति जाट निवासीगण किरडोली जिला सीकर से जरिये रजिस्टर विक्रय-पत्र दिनांकित 26.09.1970 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था, जिसका इन्द्राज जरिये नामान्तरकरण सं. 591 दिनांक 29.07.1986 को जमाबन्दी में किया गया नामान्तरकरण में प्रार्थी का नाम हबीब पुत्र जीतू खां दुरुस्त किया गया है, परन्तु जमाबन्दी में हबीब खां के बजाय अजीज खां पुत्र जीतू खां दर्ज कर दिया गया। उक्त अशुद्धि निपिकिय त्रुटि है, जिसको दुरुस्त किया जाना उचित एवम् प्रार्थनीय है। अतः उक्त वर्णित वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में विक्रय-पत्र व नामान्तरकरण के अनुसार अजीज खां पुत्र जीतू खां हिस्सा 3/16 की जगह हबीब खां पुत्र जीतू खां हिस्सा 3/16 दुरुस्त किया जावे।

प्रकरण में प्रार्थी के अनुतोष के संबंध में तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांक: भू.अ./25/3663 दिनांक 30.10.2025 के द्वारा दुरुस्ती संबंधी रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात प्राप्त हुई। प्रकरण में वर्णित अजीज खां पुत्र जीतू खां के द्वारा उक्त दुरुस्ती किये जाने पर सहमति बाबत आवेदन भी पेश किया गया है। उक्त रिपोर्ट मय संलग्न दस्तावेजात आदि का अवलोकन किया। उक्त रिपोर्ट मुताबिक प्रार्थी के अनुतोष के अनुसार सही है। प्रार्थना-पत्र अ.घा. 136 एल आर एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर किया जावे।

अतः प्रार्थी का आवेदन तहसीलदार, सीकर ग्रामीण की उक्त रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम किरडोली पटवार हल्का किरडोली तहसील सीकर ग्रामीण जिला सीकर के खाता सं. (नया) 221 के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज प्रविष्टि अजीज खां पुत्र जीतू खां हिस्सा 3/16 की जगह हबीब खां पुत्र जीतू खां हिस्सा 3/16 दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पूर्व की प्रविष्टि से किसी तरह की सरकारी, गैर सरकारी बकाया एवं उत्तरदायित्व हो तो उसके निर्वहन एवं अदायगी के लिए संबंधित खातेदार/प्रार्थीपक्ष स्वयं जिम्मेदार होंगे। तहसीलदार, सीकर ग्रामीण के पत्रांक: भू.अ./25/3663 दिनांक 30.10.2025 के द्वारा प्राप्त दुरुस्ती संबंधी रिपोर्ट आदेश का अभिन्न अंग रहेगी। पालनार्थ तहसीलदार, सीकर ग्रामीण को लिखा जावे।

आदेश सुनाया गया। पत्रावली फौसल शुमार होकर बाद तकमिल दाखिल दफतर है।



उपखण्ड अधिकारी,  
 धौद जिला सीकर  
 उपखण्ड अधिकारी  
 धौद जिला-सीकर